जम्मू - कश्मीर

पुनर्गठन क्यों?

विश्व संवाद केन्द्र, लखनऊ

समर्पण

वि० १७३२ में कश्मीर के हिन्दुओं को औरंगजेब के शासनकाल में "मुसलमान बनो या मारे जाओ" के आदेश के विरुद्ध श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ने आत्म बलिदान देकर, समाज जगाया। दशमेश गुरु ने खालसा सजा कर इस अन्याय को रोका था।

१९४७ में, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जब 'नेहरू – शेख' की कुटिल मित्रता से आशंकित महाराजा हरिसिंह जम्मू रियासत के विलय में हिचक रहे थे, तभी कबाइलियों के वेष में पाकिस्तानी सेना ने सितम्बर १९४७ में आक्रमण कर दिया।

इस विषम परिस्थिति में सरदार पटेल ने तत्कालीन सरसंघचालक श्री गोलवलकर 'गुरू जी' से सहायता ली। १८ अक्टूबर ४७ को श्रीनगर में महाराजा से श्री गुरूजी ने मिलकर उनकी राज्य की हिन्दू प्रजा की सुरक्षा का भरोसा दिलाया, तभी वे विलय के लिए तैयार हुए और अन्ततः २६ अक्टूबर ४७ को जम्मू–कश्मीर भारत में मिला।

तब तक पाकिस्तानी सेनाएं आगे बढ़ रही थीं। संघ के स्वयंसेवकों ने भारतीय सेना का कन्धे से कन्धा मिलाकर सहयोग किया। रसद और गोलाबारूद सीमा पर पहुंचाया। भारतीय सेना के पहुंचने तक मोर्चे संभाले। रात–दिन लगाकर श्रीनगर का हवाई अड्डा वायुसेना के विमानों के उतरने योग्य तैयार किया। इसमें अनेकों स्वयंसेवकों का जीवन बलिदान हुआ।

१९५३ में शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में एक देश में – दो निशान – दो विधान – दो प्रधान, तथा राज्य में प्रवेश के लिए परमिट व्यवस्था लागू की थी। इसको समाप्त कराने के लिए अपना बलिदान देकर डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की अखण्डता की रक्षा की थी।

आज फिर जम्मू-कश्मीर के सम्मान और भारत की अखण्डता संकट में है, हम अपना कर्तव्य समझें।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन क्यों?

संकलन,
अधीश कुमार

विश्व संवाद केन्द्र
लखनऊ

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ संख्या
१. प्रस्तावना – इन्द्रेश कुमार	३
२. जम्मू–कश्मीर का तीन राज्यों में पुनर्गठन किया जाए – रा. स्व. संघ का प्रस्ताव	५
३. सुविचारित है पुनर्गठन का प्रस्ताव – मा. गो. वैद्य	८
४. कुछ उभरते प्रश्न और उनके उत्तर – श्रीकांत जोशी	११
५. राज्य की स्वायत्तता मांगने वाले जम्मू की स्वायत्तता के विरोधी क्यों ? प्रो. देवेन्द्र स्वरूप	१३
६. राज्यीय एवं अन्तर्राज्यीय स्वायत्तता	१४
६. दोहरी नागरिकता	१६
७. पुनर्वास विधेयक	१७
८. पुनर्गठन के लिए संघ की समिति	१८
९. जम्मू और लद्दाख की आवाज सुनें – जोगिन्दर सिंह	१९
१०. प्रदेश का पुनर्गठन किया जाय – नरेन्द्र सहगल	२१
११. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है राज्य का पुनर्गठन	२२
१२. जम्मू–कश्मीर समस्या का समाधान – बलराज मधोक	२३
१३. वर्ष २००१–२००२ में सैनिक कार्रवाई	२६
१४. चिन्ता जम्मू–लद्दाख के हिन्दुओं की – राजेश कटियार	२७
१५. जम्मू–कश्मीर की जनसंख्या में धांधली	२९
१६. १८४६ की अमृतसर संधि	३०
१७. जम्मू–कश्मीर समस्या – विहिप का प्रस्ताव	३१

– मुद्रक, प्रकाशक –

विश्व संवाद केन्द्र

डी–२, पार्क रोड–६, लखनऊ – २२६००१

दूरभाष : ०५२२–२३६२१४, **फैक्स** : ०५२२–२३६६१६

ई–मेल : editor@samvadbharti.com

प्रकाशन तिथि :
४ अगस्त २००२

सहयोग राशि :
रु. ५/- मात्र

मुद्रक :– नूतन आफसेट मुद्रण केन्द्र, संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ–४

प्रस्तावना

जम्मू–कश्मीर में आज दो प्रकार की शक्तियों के बीच खुला टकराव है। एक ओर विभाजनकारी, विघटनकारी ताकतें हैं, जिनके हथियार हैं – आतंकवाद, राजनैतिक कानून (स्वायत्तता, पुनर्वास विधेयक, दोहरी नागरिकता, धारा ३७०) तथा सामाजिक–आर्थिक नीतियां (इलाकाई भेदभाव व जनसंख्या के संतुलन को बदलना)। इन ताकतों को देश–विदेश से सहायता मिल रही है। दूसरी ओर एकीकरण की पक्षधर राष्ट्रवादी ताकतें हैं जो पिछले ५० वर्षों से आंदोलनरत हैं, जिनका बुरी तरह शोषण हो रहा है, जिनको बुरी तरह से कुचला जा रहा है, फिर भी वे लड़ रही हैं।

जम्मू–कश्मीर की इस भयावह परिस्थिति से उभरते अनेक प्रश्नों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं :–

- **क्या आप भारत का सन् ४७ की तरह एक बार पुनः क्रूर विभाजन चाहते हैं?**
- **क्या आप अपने ही देश भारत में २००८–१० में जम्मू–लद्दाख–कश्मीर से २०–२५ लाख हिन्दुस्तानियों को शरणार्थी के रूप में देखना चाहते हैं?**
- **क्या आप भारतीयों की लाशों (नरसंहारों) को गिनने से ही अपने दिन की शुरुआत चालू रखना चाहते हैं।**
- **क्या आप "जय भोलेनाथ" तथा "जय माता की" बोलते हुए पहलगांव व जम्मू जाना बंद करना चाहते है।?**
- **क्या आप कश्मीरियों को हमेशा पाकिस्तानी बनाए रखना चाहते हैं अर्थात् उन्हें हिन्दुस्तानी बनने नहीं देना चाहते?**
- **क्या आप लाखों पाकिस्तानियों को जम्मू–कश्मीर अर्थात् हिन्दुस्तान में बसाना चाहते हैं?**

अगर नहीं, तो संघ द्वारा पारित प्रस्ताव पर टीका करने से पूर्व जम्मू–कश्मीर के भूगोल व वर्तमान परिस्थिति को समझें। इन्हीं सब बातों का सूत्ररूप विवेचन का प्रयत्न इस पुस्तिका में किया गया है।

यह प्रस्ताव –

- ☐ राज्य के विभाजन का नहीं, बल्कि पुनर्गठन का है।
- ☐ कानून की अलगाववादी धारा ३७०, अलग नागरिकता ('State Subject'),

अलग झण्डा, अलग संविधान खत्म करने तथा लाखों पाकिस्तानियों को जम्मू–कश्मीर में (पुनर्वास विधेयक द्वारा) बसने से रोकने का सर्वोत्तम मार्ग है।

☐ प्रत्येक इलाके के विकास, रोजगारवृद्धि, सभ्यता व जीवन मूल्यों की रक्षा की व्यवस्था है।

☐ केन्द्र सरकार को प्रदेश सरकार (डा. फारुख व उसके पीछे की ताकतों) की कुचालों व करतूतों के प्रति सावधान करता है।

☐ कश्मीर घाटी के अलग सूबा बनने से पाक आक्रमित कश्मीर (POK) की मुक्ति व भारतीय कश्मीर से उसके एकीकरण के आंदोलन को मजबूत करेगा क्योंकि पाकिस्तान से अलग होने के लिए पख्तूनी, बलूची, सिंधी, बाल्टिस्तानी आदि आंदोलन भड़क सकते हैं।

☐ विशेष रूप से जम्मू व लद्दाख तथा कश्मीर घाटी में भी अपने अधिकारों के संरक्षण व भारत की अखंडता हेतु देशभक्त ताकतों को संघर्ष व बलिदान के मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।

कुछ लोग इस प्रस्ताव को साम्प्रदायिक कहते हैं। प्रश्न खड़ा होता है कि यह प्रस्ताव राज्य के भूगोल पर आधारित पुंनर्गठन का है जिसमें जाति, मजहब, भाषा कोई आधार नहीं है। दूसरा एक और प्रश्न खड़ा होता है कि क्या हिन्दू बहुलता साम्प्रदायिकता है? तब तो फिर सारा हिन्दुस्तान ही साम्प्रदायिक देश हो गया। इस प्रस्ताव पर होने वाली चर्चाओं से ऐसा आरोप लगाने वालों के घिनौने, क्रूर षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने का सुअवसर मिलेगा।

मुझे विश्वास है कि इस छोटी परन्तु महत्वपूर्ण पुस्तिका में दी गयी सांकेतिक जानकारी परिस्थितियों की भावुक व्याख्या के अंधकार तथा अज्ञान को दूर कर समाज के जन–जन को एकता व अखंडता हेतु कटिबद्ध करेगी। यह प्रस्ताव पाकिस्तान को मजबूत करने वाला नहीं बल्कि पाकिस्तान के मन्सूबों पर पानी फेरने वाला, द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को नकारने वाला तथा राष्ट्र विरोधी ताकतों के षड्यंत्रों को विफल कर राष्ट्रहित का साहसिक कदम है। संघ ने कुरुक्षेत्र में गीताज्ञान को पुनः परिभाषित किया है अर्थात् पाञ्चजन्य फूंका है। देश भर की राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट होकर जम्मू–कश्मीर प्रदेश की राष्ट्रवादी ताकतों को तन–मन–धन से सहयोग देना चाहिए।

इन्द्रेश कुमार

अ. भा. सह सम्पर्क प्रमुख

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की कुरुक्षेत्र बैठक में पारित प्रस्ताव

"जम्मू–कश्मीर का तीन राज्यों में पुनर्गठन किया जाय"

अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डल हाल के कुछ वर्षों में जम्मू–कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों तथा आतंकवाद के कारण तेजी से बिगड़ रही परिस्थितियों के प्रति अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त करता है। स्वायत्तता के नारे ने इसे और बल प्रदान किया है। इस परिस्थिति का दुःखद पहलू यह है कि हमारे ही देश के राजनीतिक नेतृत्व की अक्षमता, अदूरदर्शिता एवं अल्पसंख्यकवाद के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। जिस दिन जम्मू–कश्मीर के महाराजा ने अपनी रियासत के भारत में विलय के दस्तावेज पर बिना किसी शर्त के हस्ताक्षर कर दिए थे, उसी दिन समस्या का सदा के लिए निदान हो जाना चाहिए था किन्तु हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने अपने सशस्त्रबलों के विजयशाली अभियान को आगे बढ़ने से रोक दिया और इस मामले को राष्ट्रसंघ में ले गये। परिणाम यह हुआ कि एक ऐसी समस्या का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने का मार्ग प्रशस्त हो गया जिसे हम अपने ही बलबूते पर हल कर सकते थे।

शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उस राज्य का "प्रधानमंत्री" नियुक्त करने का आग्रह दूसरी भयंकर भूल थी। धारा ३७० को अपने संविधान के अस्थायी प्रावधानों के प्रकरण में अन्तर्भूत किया गया जिससे एक ओर जहां अलगाववादी तत्वों ने उसका नाजायज लाभ उठाया वहीं दूसरी ओर सम्पूर्ण विलय की बातें करने वाली हमारी अदूरदर्शी सरकार ने इस प्रदेश के लिए स्वतंत्र संविधान, अलग झण्डा, अलग नागरिकता और 'मुख्यमंत्री' एवं 'राज्यपाल' के नामान्तरण को मंजूरी दे दी। इन दोमुंही बातों का जल्दी ही विपरीत परिणाम देखने को मिला और शेख अब्दुल्ला को सींखचों के पीछे ढकेलना पड़ा। तब कहीं जाकर केन्द्र सरकार वहां 'राज्यपाल' की नियुक्ति कर सकी तथा जम्मू–कश्मीर को सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की परिधि में ला सकी।

आवश्यकता यह थी कि एकीकरण की दिशा में और अधिक प्रगति की जाती, किन्तु 'इन्दिरागांधी–अब्दुल्ला समझौते' के अन्तर्गत १९७५ में शेख अब्दुल्ला को फिर से मुख्यमंत्री बना देने से उस पर रोक लग.गई। शेख अब्दुल्ला की हिन्दू–विरोधी एवं भारत–विरोधी नीतियां फिर से प्रारम्भ हो गई। उनके पुत्र वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ.

फारुख अब्दुल्ला भी उन्हीं नीतियों को योजनापूर्वक अपना रहे हैं। परिणामस्वरूप कश्मीर घाटी प्रायः हिन्दू विहीन हो गयी है। पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकारने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए कानून बनाना ऐसी खतरनाक चाल है जिससे जनसंख्या के अनुपात में लक्षणीय परिवर्तन होगा।

जम्मू–कश्मीर प्रदेश में लगभग दो लाख वयस्क हिन्दू संसदीय चुनावों के लिए तो मतदाता है, परन्तु प्रादेशिक विधानसभा हेतु नहीं। प्रादेशिक विधानसभा की अवधि दूसरे प्रदेशों की भांति ५ वर्ष की न होकर ६ वर्ष की है। एक भेदमूलक कानून के कारण प्रदेश की कोई महिला यदि प्रदेश के बाहर देश के किसी पुरुष से विवाह करती है तो उसे अपनी पैतृक सम्पत्ति एवं प्रदेश की नागरिकता से भी हाथ धोना पड़ता है किन्तु यदि कोई महिला किसी पाकिस्तानी नागरिक से शादी करती है, तो अपने पति को भी जम्मू–कश्मीर की नागरिकता दिलाने की हकदार बन जाती है। उसी प्रकार जहां एक ओर हिन्दू नागरिकों को राज्य की नागरिकता का प्रमाणपत्र मांग कर तंग किया जा रहा है वहीं ज्ञात विदेशी आतंकवादियों को नागरिकता प्रदान कर उन्हें जम्मू व उसके आसपास बसाया जा रहा है। ये बातें डॉ. फारुख अब्दुल्ला की नेशनल कान्फ्रेन्स सरकार के गर्हित मन्सूबों के बारे में बहुत कुछ कह जाती हैं।

किन्तु अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डल को इस निराशापूर्ण परिस्थिति में भी यह विश्वसनीय आशा की किरण दिखाई देती है। प्रदेश में ऐसे समझदार लोग हैं जो धारा ३७० को नहीं चाहते, जो किसी भी प्रकार की स्वायत्तता के विरुद्ध हैं और भारत के साथ सम्पूर्ण एकीकरण के पक्षधर हैं। इस प्रकार जम्मू–कश्मीर राज्य में दो प्रकार के विचार एवं भावना वाले लोग विद्यमान हैं। एक वे जो भारत के साथ पूर्ण एकीकरण चाहते हैं और दूसरे वे जो विभिन्न नामों और झण्डों का सहारा लेकर अलगाववाद एवं आतंकवाद का रास्ता अपनाए हुए हैं।

इस सन्दर्भ में अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डल का ध्यान राज्य सरकार की उस आत्यंतिक भेदभावपूर्ण नीति की ओर भी गया है जो जम्मू और लद्दाख के प्रति बरती जा रही है और जिसके कारण जनता में उभरे रोष ने जम्मू में अलग राज्य की और लद्दाख में केन्द्रशासित प्रदेश की मांग को बल प्रदान किया है। संघ के सरकार्यवाह द्वारा न्यायमूर्ति (निवृत) श्री जितेन्द्रवीर गुप्त की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति ने भी भेदभाव की इस वास्तविकता को पुष्ट किया है। इस परिप्रेक्ष्य में अ. भा. का. मण्डल निम्न बातें प्रस्तावित करता है –

१. जम्मू की जनता को लगता है कि उनकी समस्याओं का समाधान जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने में ही हो सकता है और इसके लिए जम्मू–कश्मीर नेशनल फ्रंट व अन्य संगठन सतत आन्दोलनरत भी हैं। अ.भा. कार्यकारी मण्डल उनकी

उस मांग का समर्थन करता है। जम्मू के अलग राज्य की मांग को, जिसमें राजौरी, पुंछ और डोडा के मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी शामिल हैं, साम्प्रदायिक कहना घोर अज्ञान या पूर्वग्रहदूषित मानसिकता का ही परिचायक है।

२. अ.भा.का. मण्डल लद्दाख को केन्द्र–शासित प्रदेश बनाने की मांग का समर्थन करता है।

३. भारत के साथ पूर्ण एकीकरण की पक्षधर कश्मीर घाटी की सभी शक्तियों को अ.भा.का. मण्डल अपना पूर्ण समर्थन देता है।

४. अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डल उन कश्मीरी हिन्दुओं की दुर्दशा के प्रति घोर चिन्ता व्यक्त करता है जिन्हें जिहादी मुसलमानों के कारण गृहविहीन होकर दस वर्षों से भी अधिक समय से देश के विभिन्न भागों में निर्वासितों का जीवन बिताना पड़ रहा है। अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डल केन्द्र एवं प्रदेश की सरकारों से यह अनुरोध करता है कि वे परिस्थितियों के मारे इन लोगों से वार्ता करे तथा उन्हें सुरक्षित रूप से कश्मीर घाटी में पुनः स्थापित करें जहां वे हजारों वर्षों से रहते आए हैं।

यह बात भी अति महत्वपूर्ण है कि जम्मू–कश्मीर प्रदेश में शीघ्र ही होने वाले चुनाव निष्पक्ष रूप से संचालित हो सकें इस हेतु आवश्यक सावधानियां व पग उठाएं जाएं। पिछले अनुभवों के आधार पर यह भरोसे से नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान नेशनल कान्फ्रेन्स की सरकार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव करा पाएगी।

अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डल सम्पूर्ण देश के देशभक्त लोगों का आवाहन करता है कि वे राष्ट्रीय एकता के हित में इन वैध मांगों का समर्थन करें और यह सुनिश्चित करें कि जम्मू–कश्मीर के लोगों के हितों का इसके बाद पूरा संरक्षण किया जाएगा तथा जम्मू–कश्मीर में व्याप्त अलगाववाद की खतरनाक प्रवृत्ति एवं आतंकवाद पर विराम लग सकेगा। कार्यकारी मण्डल का स्वयंसेवकों से यह भी आग्रह है कि वे भी एकीकरण चाहने वाली शक्तियों का समर्थन करें तथा राष्ट्र–विरोधी शक्तियों के षड़यंत्रों को परास्त करें।

"हम रा. स्व. संघ के प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करते हैं, अगर लद्दाख तथा जम्मू को बचाना है तो यही एकमात्र रास्ता है, जो संघ ने सुझाया है, लद्दाख के लोग, विशेषकर लद्दाखी बौद्ध समाज बहुत समय से यह मांग करता आ रहा है, यदि लद्दाख को घाटी से अलग कर उसे केन्द्रशासित प्रदेश का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो इस क्षेत्र का भी वही हाल होगा जो घाटी में कश्मीरी हिन्दुओं का हुआ, संघ तथा विहिप ने जो प्रस्ताव किया है वह राष्ट्र के हित में है।"

लामा लोब्जांग

लद्दाख के वरिष्ठ बौद्ध नेता, सदस्य एस. सी. एस. टी. आयोग

सुविचारित है पुनर्गठन का प्रस्ताव

– माधव गोविन्द वैद्य

क्षेत्रीय स्तर पर लोगों की भावना राज्य के विभाजन के पक्ष में है। जम्मू–कश्मीर के एक बड़े हिस्से में लोग चाहते हैं कि उन्हें अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जम्मू–कश्मीर के विभाजन का प्रस्ताव रखा है।

जम्मू–कश्मीर राज्य के स्पष्ट विभाजित तीन हिस्से हैं। इन तीनों की भाषा–बोली, जातीय संस्कार और संस्कृति सब अलग हैं। काफी समय पहले कांग्रेस पार्टी ने भी माना था कि लद्दाख को अलग केन्द्र शासित राज्य का दर्जा दिया जाए। हम इसे तीन राज्यों में बांटने की बात कर रहे हैं।

जम्मू और लद्दाख की कश्मीर के शासन में बहुत कम हिस्सेदारी रही है। अभी राज्य विधानसभा के मौजूदा सत्र में भी यह बात उठी है कि जम्मू और लद्दाख के प्रति भेदभाव किया जाता है।

राज्य सरकार घाटी से विस्थापित पंडितों के पुनर्वास का सवाल कभी नहीं उठाती है। राज्य का विभाजन हो जाने पर विस्थापितों के पुनर्वास की योजना को कार्यरूप दिया जा सकेगा। इसके अलावा राज्य में आतंकवाद की समस्या को खत्म करने के लिए भी राज्य का विभाजन कारगर साबित होगा। इसके अलावा दो सवाल ऐसे हैं, जिन्होंने हमें राज्य के विभाजन पर गंभीरता से सोचने के लिए विवश किया। पहली चिन्ता यह है कि अभी भी जम्मू में दो लाख मतदाता ऐसे हैं, जो लोकसभा में तो वोट देते हैं, लेकिन उन्हें विधानसभा में वोट देने का अधिकार नहीं है। यानी वे भारत के नागरिक तो हैं लेकिन जम्मू–कश्मीर के नागरिक नहीं हैं। ये वे लोग हैं, जो विभाजन के कुछ समय बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। सवाल है कि संविधान के मुताबिक जब नागरिकता तय करने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है और उसने इन लोगों को भारत की नागरिकता दे दी है, तो राज्य सरकार इनकी नागरिकता कैसे बाधित कर सकती है। इस विशेष स्थिति के अलावा कई और बातें हैं। केन्द्र में और हर राज्य में पांच साल में चुनाव होता है, लेकिन कश्मीर में छह साल में चुनाव होता है। बीच–बीच में स्वायत्तता की बात छेड़कर मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला १९५२ की स्थिति बहाल करने की मांग भी करते रहे हैं।

दूसरी चिंता यह है कि राज्य का और खासकर जम्मू का जनसंख्या अनुपात बिगाड़ने की कोशिश है। इस काम में १९८२ में जम्मू विधानसभा में पास किया गए इस कानून में व्यवस्था की गई थी कि राज्य सरकार विभाजन के समय पाकिस्तान

गए लोगों से वापस लौटने का अनुरोध करेगी। जो लोग वापस लौटेंगे, उन्हें जम्मू में बसाया जाएगा। हो सकता है पाकिस्तान गए लोग मर गए हों, लेकिन उनके परिवार का भी सदस्य इस कानून के तहत वापस लौट कर जम्मू में बस सकता है। इस कानून के जरिए बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी को जम्मू में बसाने की योजना है ताकि वहां भी हिन्दुओं को अल्पसंख्यक बनाया जा सके और जिस तरह घाटी से उन्हें विस्थापित कर दिया गया, उसी तरह बाद में यहां से भी विस्थापित कर दिया जाए।

दरअसल राज्य के विभाजन का हमारा प्रस्ताव एक सुविचारित योजना पर आधारित हे। पहले भी क्षेत्रीय स्वायत्तता समिति (आरएसी) और कश्मीर स्टडी ग्रुप ने भी राज्य के विभाजन का सुझाव दिया था। इसलिए हमारा प्रस्ताव न कोई नया प्रस्ताव है और न ही सिर्फ विवाद खड़ा करने के लिए सरकार के सामने रखा गया है। राज्य के विभाजन को लेकर जो भी आशंकाएं जताई जा रही हैं, उनका कोई ठोस आधार नहीं है। मैं पूछता हूं कौन लोग इसका विरोध कर रहे हैं? जिन लोगों ने धर्म के नाम पर दो देश बनवा दिए, उन्हें लगता है कि हम धर्म के आधार पर राज्य का विभाजन कर रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि हम जिस असल जम्मू राज्य की मांग कर रहे हैं, उसके तीन जिलों – डोडा, पुंछ और राजौरी में मुसलमान आबादी बहुसंख्या में है। हम उन्हें तो अलग कर देने की बात नहीं कहते हैं। रही बात इस आशंका की कि नए राज्य में हिन्दुओं का बाहुल्य होने से साम्प्रदायिक हिंसा का खतरा है तो मुझे इस तरह की आशंका खड़ी करने वालों की दिमागी स्थिति पर कुछ नहीं कहना है। अगर हिन्दू साम्प्रदायिक होता तो पूरे देश में हिंसा फैली होनी चाहिए, आखिर पूरे देश में हिन्दुओं की बहुलता तो है ही।

आश्चर्य, कथित रूप से विद्वान कहे जाने वाले लोग भी यह आशंका जता रहे हैं कि इससे देश का सामाजिक ढांचा बिगड़ेगा। आखिर इससे पहले भी राज्यों के जो विभाजन हुए हैं, वे जातीय–भाषाई आधार पर ही हुए हैं और विभाजन से पहले राज्य के नेता इसका भी विरोध करते रहे थे। लालू प्रसाद से लेकर मुलायम सिंह यादव तक बिहार व उत्तर प्रदेश के विभाजन के खिलाफ थे, लेकिन जब विभाजन हो गया तो सब ठीक हो गया।

(लेखक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता हैं।)

❑❑❑

"हम लद्दाखवासी बहुत समय से मांग करते आ रहे हैं, इस दृष्टि से संघ का यह प्रस्ताव स्वागतयोग्य है। हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।"

थुप्स्तान छेवांग
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं
अध्यक्ष – लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद

नवगठित 'जम्मू स्टेट मोर्चे' की मांग

जम्मू को राज्य का दर्जा दिया जाए

जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। अनेक राष्ट्रवादी संगठनों ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि जम्मू और लद्दाख को कश्मीर घाटी से अलग करके दोनों को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। जम्मू को राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए चल रहे आंदोलन को १२ जुलाई, २००२ को 'जम्मू स्टेट मोर्चा' के गठन के बाद नई गति मिली है। रा. स्व. संघ, जम्मू–कश्मीर प्रांत के सह संघचालक श्री श्रीकुमार को इस मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। जम्मू में सम्पन्न हुई एक बैठक में कई संगठनों ने इस मोर्चे में शामिल होने की अधिकारिक घोषणा की। 'जम्मू स्टेट मोर्चा' में शामिल इन संगठनों में प्रमुख हैं :–

जम्मू एंड कश्मीर नेशनलिस्ट फ्रंट, जम्मू मुक्ति मोर्चा, जम्मू–कश्मीर राजपूत सभा, जम्मू अधिवक्ता परिसंघ, सिख बुद्धिजीवी समाज, आर्य समाज (जम्मू), जम्मू मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, मुस्लिम फ्रंट फार जस्टिस, गुज्जर फ्लाही कमेटी, धार्मिक युवक मण्डल, सनातन धर्म सभा, नारी जागरण मंच, आल जम्मू स्टूडेन्ट्स मंच, डोडा विचार मंच, राजौरी–पुंछ आवामी फ्रंट, सीमा सुरक्षा समिति, जे. एण्ड के. पेंथर्स पार्टी, गुरुद्वारा प्रबंधक समिति व जम्मू संघर्ष वाहिनी।

कश्मीरी पंडितों का संघर्ष

कश्मीर वापस जाने के लिए उनकी तीन मांगें हैं :–

१. गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाकर प्रसिद्ध शारदा मन्दिर उनके हवाले किया जाए। इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाले "जम्मू–कश्मीर विचार मंच" का नारा है – **"सोरुई कश्मीर – सोअन कश्मीर"** अर्थात् सम्पूर्ण कश्मीर हमारा है।

२. जम्मू–कश्मीर के इस्लामीकरण समाप्ति की उल्टी गिनती शुरू की जाए।

३. कश्मीरी पंडितों के लिए एक अलग राज्य बनाया जाए। **'पनुन कश्मीर'** के नेतृत्व में उन्होंने घाटी में हिन्दुओं के लिए एक अलग केन्द्र शासित प्रदेश की मांग की है।

कुछ उभरते प्रश्न और उनके उत्तर

– श्रीकान्त जोशी

प्रश्न : पुनर्गठन प्रस्ताव से सारे देश में एक आशंका निर्माण हो गई है कि यह कश्मीर घाटी को पाकिस्तान के हाथों सौंपने जैसा है?

उत्तर : घाटी के विषय में वास्तविक जानकारी का अभाव है। घाटी के मुसलमान पाकिस्तान के साथ जाने की कल्पना से भयभीत हो जाते हैं। उनकी स्मृति में आज भी दिल दहला देने वाली अक्टूबर १९४७ की घटनाएं हैं, जब कबायलियों के नाम पर पाकिस्तानी सेना ने घाटी में प्रवेश कर हत्या, लूट व बलात्कार का तांडव नृत्य कर सुन्दर–सुरम्य घाटी को साक्षात् नरक में बदल दिया था। पाकिस्तान में मुहाजिर, अहमदियों, शियाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। नेशनल कांफ्रेंस भी पाकिस्तान में विलय के खिलाफ है।

प्रश्न : कश्मीर घाटी स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर सकती है?

उत्तर : यदि भारत के सुरक्षाबल वहां से हट जाते हैं तो तुरन्त ही पाकिस्तान घाटी पर कब्जा कर लेगा और घाटी के लोगों को अक्टूबर' ४७ जैसे हालात का सामना पड़ेगा। अब भी भारतीय सुरक्षा बलों की उपस्थिति के कारण ही वे लोग खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। जब तक वहां भारतीय सेना है, तब तक घाटी के किसी भी हिस्से का पाकिस्तान में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है, पाकिस्तान भी यह जानता है।

प्रश्न : सरकार तथा अन्य प्रभावी सामाजिक नेतृत्व इस मांग को साम्प्रदायिक कहकर आलोचना कर रहे हैं?

उत्तर : इस आलोचना का कारण भी जम्मू क्षेत्र की जटिलताओं की जानकारी न होना है। जम्मू क्षेत्र के ६ में से ३ जिले मुस्लिम बहुल हैं। हिन्दू बहुल जिलों के समान ही ये जिले भी अलग राज्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। वस्तुतः राज्य का "जम्मू–कश्मीर" नाम भी यही बताता है कि राज्य की स्थापना के समय से उसके ये प्राकृतिक विभाग है। लद्दाख को एक अलग केन्द्र शासित प्रदेश बनाने के लिए तो भाजपा व कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने प्रस्ताव पारित किए हैं।

प्रश्न : जम्मू के लोग अलग राज्य के लिए क्यों दबाव डाल रहे हैं?

उत्तर : जम्मू के लोगों में भेदभाव को लेकर मर्मान्तक पीड़ा है। यह भेदभाव राजकीय सेवाओं, उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश, विकास, केन्द्र से प्राप्त सहायता राशि के विनियोग तथा विधानसभा क्षेत्रों की संख्या आदि सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। दो लाख हिन्दू, जो १९४७ के पाक हमले के समय जम्मू आकर बस गए थे, उनमें

से २ लाख वयस्क मतदाता आज भी राज्य की नागरिकता से वंचित हैं। ये लोग लोकसभा के लिए तो मतदाता हैं पर जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए मताधिकार से वंचित हैं। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जो मुसलमान १९४७ में पाकिस्तान भाग गए थे, तथा जिन्होंने पूरी तरह पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त कर ली है, उन्हें अब दोबारा जम्मू में बुलाकर नागरिकता के सभी अधिकार सौंपने की कुचाल प्रदेश सरकार चल रही है। इसके अतिरिक्त कश्मीरी मुसलमानों को जम्मू क्षेत्र में बसाने की योजनाबद्ध मुहिम चल रही है, स्वाभाविक ही इन सभी बातों के कारण एक खतरनाक जनसंख्या असन्तुलन हो रहा है।

प्रश्न : सरकार ने इस मांग को एकदम खारिज कर दिया है?

उत्तर : इस विषय में प्रबल जनांदोलन के कारण सरकार को पुनर्विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ठीक वैसा ही जैसा कि पंजाब, झारखण्ड और उत्तरांचल के विषय में हुआ।

प्रश्न : लोगों की भावना को आपने कैसे पहिचाना?

उत्तर : यह प्रक्रिया दो वर्षों से चल रही है। वर्ष २००१ में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित कर इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भावना जानने का निश्चय किया। इस हेतु न्यायमूर्ति श्री जितेन्द्रवीर गुप्ता के नेतृत्व में तीन सदस्यों की एक समिति ने सम्पूर्ण प्रदेश का विस्तृत दौरा किया और अपनी रपट प्रस्तुत की। यह निर्णय इस रपट पर आधारित है।

प्रश्न : अक्टूबर मास में होने वाले विधानसभा चुनाव में जम्मू प्रदेश का मत प्रतिविम्बित होगा?

उत्तर : अवश्य होगा, किन्तु चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। आज की सरकार के सत्ता में रहते हुए यह होगा ऐसा हमें नहीं लगता। राज्यपाल का शासन लगाना ही एकमात्र उपाय है, हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस सम्भावना का जिक्र किया है।

प्रश्न : इस कारण से क्या अन्तर्राष्ट्रीय मत हमारे खिलाफ होगा?

उत्तर : अन्तर्राष्ट्रीय अभिमत ने पिछले ५० वर्षों में हमारे देश के हितों का रक्षण करने वाले किन्हीं भी सही मुद्दों का उसने समर्थन नहीं किया, उल्टा देश के हित के विपरीत व्यवहार करने के लिए अपना दबाव बनाया। यह भी सच है कि जब कभी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुदृढ़ भूमिका अपनाई और उसे कार्यान्वित किया तो यह तथाकथित अन्तर्राष्ट्रीय दबाव नाकाम रहा।

– अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

राज्य की स्वायत्तता मांगने वाले जम्मू की स्वायत्तता के विरोधी क्यों

प्रो. देवेन्द्र स्वरूप

मजहबी विस्तारवाद इस्लामी विचारधारा का मूल तत्व है। धार्मिक बहुलतावाद इस्लाम को न स्वीकार्य है, न बर्दाश्त। इसीलिए पृथकतावादी मुस्लिम नेतृत्व हिन्दू बहुल जम्मू क्षेत्र और बौद्ध बहुल लद्दाख क्षेत्र को अपना मजहबी चारागाह समझता है। इसकी दृष्टि में जम्मू–कश्मीर राज्य के क्षेत्रीय विभाजन का अर्थ है इन दो विशाल चारागाहों का छिन जाना। इसलिए जम्मू–कश्मीर राज्य केवल लद्दाख के शियाओं और जम्मू के गूजरों को छोड़कर समूचा मुस्लिम नेतृत्व इस मांग का विरोध कर रहा है।

दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पूरे जम्मू–कश्मीर पर पृथकतावादी और सत्ताकांक्षी मुस्लिम नेतृत्व अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। क्षेत्रीय विभाजन की मांग उसकी आकांक्षा पूर्ति में बहुत बड़ी बाधा है। यह बात समझना कठिन है कि एक ओर नेशनल कांफ्रेंस जम्मू–कश्मीर राज्य को अधिक स्वायत्तता देने की मांग उठा रही है तो वह लद्दाख और जम्मू क्षेत्रों की पूर्ण स्वायत्तता का विरोध किस आधार पर कर सकती है? यदि आन्तरिक विकास के लिए स्वायत्तता सहायक है तो इन क्षेत्रों के विकास का मार्ग प्रशस्त क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें साम्प्रदायिकता कहां है? देश विभाजन की बात कहां है?

क्या संसद के प्रस्ताव ने कश्मीर घाटी से खदेड़े गए लाखों कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की स्थिति पैदा की? क्या कश्मीर घाटी का पूर्ण मुस्लिमकरण कर लेने के बाद आतंकवाद के को जम्मू की ओर बढ़ने से रोका जा सका? क्या इस सत्य को नकारा जा सकता है कि पिछले कई वर्षों से जम्मू क्षेत्र के हिन्दू आतंकवादी हमलों का शिकार बने हैं और राज्य की ओर से सुरक्षा न मिलने के कारण अपने घरों से भागने के लिए विवश हुए हैं? भारत की अखण्डता के लिए मगरमच्छी आंसू बहाने वालों से हम पूछना चाहते हैं कि इन आतंकवादी हमलों और जम्मू क्षेत्र से हिन्दुओं के पलायन को रोकने के लिए उन्होंने अब तक क्या किया है?

	जम्मू	कश्मीर	लद्दाख
क्षेत्रफल	२६,२६३ वर्ग कि.मी.	१५,८५३ वर्ग कि.मी.	५६,२४१ वर्ग कि.मी.

राज्यीय एवं अन्तर्राज्यीय स्वायत्तता

(State & Regional Autonomy)

जम्मू–कश्मीर राज्य सरकार द्वारा २६–११–१९९६ को स्वायत्तता के लिए गठित कमेटी द्वारा १३–०४–९९ को प्रस्तुत रिपोर्ट के निष्कर्ष :–

- केन्द्र सरकार का नियंत्रण केवल सुरक्षा, विदेश विभाग, दूरसंचार तथा उनसे जुड़े उद्योगों पर ही रहेगा, शेष में राज्य को पूर्ण स्वतंत्रता।
- जम्मू कश्मीर सर्वोच्च न्यायालय की परिधि में नहीं रहेगा। (अर्थात जम्मू–कश्मीर उच्च न्यायालय ही सर्वोच्च रहेगा)
- जम्मू कश्मीर केन्द्रीय चुनाव आयोग (Election Commission) की भी परिधि में नहीं रहेगा। (सन् १९५०–६० के दशक में लोक सभा के लिए सांसदों का चुनाव नहीं होता था, प्रदेश सरकार मनोनीत करती थी)।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का अधिकार समाप्त होगा (अर्थात् केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली मदद का मनमाने ढंग से दुरुपयोग करने की खुली छूट)।
- संविधान के अनुच्छेद ३७० को अस्थायी (Temporary) की बजाय विशेष (Special) दर्जा।
- राज्यपाल तथा 'मुख्यमंत्री' के स्थान पर १९५२ से पूर्व प्रचालित "राष्ट्रपति (सदर–ए–रियासत)" तथा "प्रधानमंत्री (वजीर–ए–आलम)" के पदों का पुनः स्थापन।
- १९५३ तथा उसके पश्चात् जम्मू–कश्मीर पर लागू सभी भारतीय राष्ट्रीय कानून वापस हों।
- भारतीय ध्वज "तिरंगे" का अपमान करने पर सजा का कोई विधान (कानून) नहीं होगा। "तिरंगा" केवल केन्द्रीय सरकार के भवनों पर ही लहराया जाएगा।
- जम्मू–कश्मीर प्रदेश सरकार के किसी असंवैधानिक, गैर कानूनी, राष्ट्रविरोधी काम के कारण भारत के राष्ट्रपति संविधान की धारा ३५६ का उपयोग कर राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकेंगे।
- देशभर से IAS, IPS, IFS ऑफिसर जम्मू–कश्मीर प्रदेश में नहीं आएंगे। अर्थात् राष्ट्रीय एकीकरण (National Integration) के बजाय अलगाव (National Disntegration) की शुरुआत।

❍ सन् १६५०–६० के दशकों में (अर्थात् ६० से पूर्व) लागू परमिट सिस्टम पुनः चालू किया जाएगा। (अर्थात् देशभर से जम्मू–कश्मीर प्रदेश में जाने के लिए परमिट का मतलब माता वैष्णों देवी एवं बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए भी परमिट .....?)

❍ जम्मू–कश्मीर को साम्प्रदायिक आधार पर आठ सूबों (Provinces) में बांटा जायेगा जिसमें ६ मुस्लिम बहुल, १ हिन्दू तथा १ बौद्ध बहुल होंगे।

१. कामराज, २. नंदाबाद, ३. मराज, ४. चिनाब घाटी, ५ पीर पंचाल, ६. कारगिल. ७. लद्दाख और ८. जम्मू में बांटा जाएगा। इसका सीधा अर्थ निकलता है कि जम्मू कश्मीर एक 'प्रदेश' न होकर 'देश' (Country) होगा।

❑❑❑

१८४२ की लेह संधि

अमृतसर संधि से कई वर्ष पूर्व गुलाबसिंह के सेनापति वजीर जोरावर सिंह ने जम्मू क्षेत्र के किश्तवाड़ और पाडर से होकर लद्दाख में प्रवेश किया था और उसके राजा को युद्ध में हराकर लद्दाख को गुलाबसिंह के राज्य में शामिल कर लिया था। लद्दाख राज्य की राजधानी लेह थी और यह तिब्बत के शासक दलाईलामा के मातहत था।

लद्दाख और बल्तिस्तान को हस्तगत करके जनरल जोरावर सिंह मानसरोवर और कैलाश पर्वत को गुलाबसिंह के राज्य में शामिल करने के लिए तिब्बत की ओर बढ़ा। दिसम्बर १६४१ में वह मानसरोवर झील के किनारे लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके बाद तिब्बती सेना लद्दाख की ओर बढ़ने लगी परन्तु वह अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हुई। दो असूज संवत् १८६६ तदनुसार १५ सितम्बर १८४२ को गुलाबसिंह की सरकार और दलाईलामा की सरकार के बीच एक संधि हुई जिसे लेह की संधि कहा जाता है। इसके अनुसार दलाईलामा की सरकार ने लद्दाख पर गुलाबसिंह का अधिपत्य स्वीकार कर लिया। साथ ही इस संधि के द्वारा दोनों पक्षों ने तिब्बत और लद्दाख की परम्परागत सीमा को मानने और उसका उल्लंघन न करने का वचन दिया।

इस प्रकार महाराजा गुलाबसिंह कश्मीर घाटी को लेने के कई वर्षों पहले लद्दाख पर अधिकार कर चुका था। लद्दाख का कश्मीर घाटी से तब न कोई वास्ता था और न सम्बन्ध।

दोहरी नागरिकता

सम्पूर्ण भारत की एक ही नागरिकता 'भारतीय नागरिकता' कहलाती है। किसी भी प्रदेश की अलग नागरिकता नहीं है। परन्तु, जम्मू–कश्मीर में प्रदेश नागरिकता **(State Subject)** की व्यवस्था है। 'प्रदेश के नागरिक' को 'भारतीय नागरिक' से बहुत अधिक सुविधाएं व अधिकार प्राप्त हैं। जैसे :–

(क) प्रदेश नागरिक ही अपने नाम से सम्पत्ति खरीद सकता है, केवल भारतीय नागरिक नहीं।

(ख) प्रदेश की नौकरियों में 'केवल भारतीय नागरिकों' को नौकरी नहीं मिलती, यह अधिकार 'प्रदेश नागरिकों' के लिए सुरक्षित।

(ग) 'केवल भारतीय नागरिक' स्थानीय निकायों **(Local Bodies)** पंचायत, नगरपालिका, विधान सभा आदि के चुनावों में मतदान नहीं कर सकता, जबकि वह लोकसभा के लिए मतदान कर सकता है।

(घ) जम्मू–कश्मीर प्रदेश की महिला का यदि प्रदेश के बाहर किसी से विवाह होता है तो पैतृक सम्पत्ति में उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

दो निशान :– देश भर में केवल जम्मू–कश्मीर ऐसा राज्य है जहां प्रदेश का मान्यता प्राप्त राज्यध्वज है। जम्मू–कश्मीर के सचिवालयों मंत्रियों की गाड़ियों पर आज भी दो झण्डे लहराते हैं। एक प्रदेश ध्वज दूसरा देश का ध्वज।

विशेष :– जम्मू–कश्मीर प्रदेश में आज भी "तिरंगे" के अपमान पर सजा का कोई कानून नहीं।

दो विधान :– सम्पूर्ण देश में केवल जम्मू–कश्मीर ही एक मात्र राज्य है जिसका अलग संविधान है।

पिछले ५० वर्षों में भारतीय संसद एवं सर्वोच्च न्यायालय के अनेक कानून प्रदेश में लागू होने लगे हैं। धारा ३७० धीरे–धीरे कमजोर हुई है। परन्तु आज भी भारतीय संसद द्वारा पारित अनेक प्रस्ताव (कानून) जम्मू–कश्मीर विधानसभा की सहमति के बाद ही प्रदेश में लागू होते हैं। अनेक भारतीय कानून प्रदेश में संशोधित रूप से लागू हैं। संसद द्वारा पारित कानूनों के नीचे वाक्य लिखा जाता है **"जम्मू–कश्मीर प्रदेश को छोड़कर यह कानून पूरे देश में लागू होगा"**। जब जम्मू–कश्मीर विधानसभा से वह कानून पुनः समर्थन प्राप्त कर लेता है, तब नीचे एक पंक्ति और लिखी जाती है – **"अब इस तारीख से यह कानून जम्मू–कश्मीर में भी लागू होता है।"**

"भारतीय संसद के ऊपर जम्मू-कश्मीर की विधानसभा अर्थात् **"लोकतंत्र का मजाक"**

पुनर्वास विधेयक

डा. फारुख अब्दुल्ला द्वारा लाखों पाकिस्तानी नागरिकों को जम्मू–कश्मीर में बसाने के षड्यन्त्र का नाम है **"पुनर्वास विधेयक" (Resettlement Bill)**

विधेयक की पृष्ठभूमि व वर्तमान स्थिति :– शेख अब्दुल्ला ने १९८२ में यह 'पुनर्वास विधेयक' जम्मू–कश्मीर विधानसभा में पारित करा कर राज्यपाल के अनुमोदन हेतु भेजा था। किन्तु, राज्यपाल बी.के. नेहरु ने इस विधेयक की खतरनाक दृष्टि को समझकर लौटा दिया। जब दुबारा राज्यपाल के पास भेजा गया तो संवैधानिक बाध्यता के कारण उन्हें मंजूरी देनी पड़ी। इस विधेयक को राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह परामर्श हेतु सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने १६ वर्ष तक इस पर कोई निर्णय नहीं दिया।

किन्तु सन् २००१ में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इस गड़े मुर्दे को यह कहकर जीवित कर दिया कि राज्यपाल की अनुमति से अब यह कानून बन गया है, अतः सर्वोच्च न्यायालय इस पर मत देना आवश्यक नहीं समझता। एक 'सार्वजनिक हित याचिका' दायर होने के कारण अभी इसके क्रियान्वयन पर स्थगनादेश दिया गया है, जिस पर अगस्त २००२ में सुनवाई होगी।

जस्टिस भड़ूचा के निर्णय के तुरन्त बाद डा. फारुख ने आनन–फानन में जांच पड़ताल के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर डाली। परिणाम स्वरूप ये मजहबी प्रशासनिक अधिकारी वर्षों से जम्मू–कश्मीर में रह रहे हिन्दुओं और भारतनिष्ठ मुस्लिमों को अपनी नागरिकता के प्रमाण पत्र की जांच के नाम पर कहीं न कहीं तंग करते रहते हैं।

पुनर्वास विधेयक के फलितार्थ :– ५० वर्षों से भी ज्यादा समय से बसे हुए हिन्दू और भारत निष्ठ मुस्लिमों का जमीन जायदाद से बेदखल होना, विस्थापन और एक प्रकार से विभाजन की त्रासदी का पुनर्जन्म।

ऐसे पाकिस्तानी मुस्लिम नागरिकों का जम्मू–कश्मीर में बसना जो :–

१. १९४७–४८ में भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे।

२. जिन्होंने वहां की नागरिकता वतनपरस्ती कबूल कर ली, और

३. शायद १९४८, १९६५ या १९७१ के भारत विरोधी युद्धों में भी शामिल रहे हों।

ऐसे पाकिस्तानी नागरिक विधानसभा व लोकसभा के मतदाता बनेंगे; चुनाव लड़कर विधायक या सांसद बन सकेंगे। वे मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं।

दूसरी ओर भारतनिष्ठ, देशभक्त नागरिक इस विधेयक के क्रियान्वयन के कारण दर–दर की ठोकरें खाने को बाध्य होंगे। उन्हें अपनी नागरिकता का प्रमाण (केवल शपथ पत्र नहीं) दिखाना होगा।

पुनर्गठन के लिए संघ की समिति

मार्च २००१ को दिल्ली में हुई रा. स्व. संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में जम्मू-कश्मीर के प्रतिनिधियों ने जम्मू को स्वतंत्र राज्य तथा लद्दाख को केन्द्रशासित प्रदेश की मांग के लिए चल रहे आन्दोलनों के पक्ष में संघ के समर्थन की अपील की। इसके पक्ष में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में चल रही भेदभाव व पक्षपातपूर्ण नीतियों और अलगाववादी तथा देश के साथ पूर्ण एकीकरण चाहने वाली शक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी व तथ्य रखें। चर्चा के पश्चात् प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया।

प्रस्ताव के अनुरूप सरकार्यवाह श्री मोहनराव भागवत ने उत्तर क्षेत्र (दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल व जम्मू-कश्मीर) के क्षेत्र संघचालक मान्यवर जितेन्द्रवीर गुप्त (पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश) की अध्यक्षता में, तथ्यों की और अधिक गहरी व जमीनी वास्तविकता समझने हेतु, एक त्रिसदस्यीय समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्य थे - हरियाणा के प्रांत कार्यवाह प्राध्यापक डा. बजरंगलाल गुप्त तथा अ. भा. विद्यार्थी परिषद् के पुराने कार्यकर्ता, राज्यसभा के सांसद प्राध्यापक बाल आप्टे।

समिति ने जम्मू-कश्मीर राज्य का व्यापक दौरा किया। उसने वहां सैकड़ों लोगों से व्यक्तिशः तथा समूहों में भेंट एवं विस्तृत चर्चा की। जम्मू के ५८ तथा कश्मीर के १५ प्रतिनिधि मंडलों से बातचीत हुई। मिलने वालों में सभी इलाकों, मजहबों, जातियों के पुरुष-महिला, वकील, डाक्टर, प्राध्यापक, व्यवसायी, कृषक, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी, सेना व पुलिस के अफसर, राजनेता आदि शामिल थे। समिति ने अपने अनुभव एवं आकलन के आधार पर रपट प्रस्तुत की। इसके पश्चात् कार्यकारी मण्डल की बैठक से पूर्व संघ के प्रवक्ता श्री मा. गो. वैद्य भी जम्मू गए, उनकी जानकारियों ने भी समिति की रपट को और अधिक पुष्ट किया। इसी के प्रकाश में वर्तमान प्रस्ताव पारित हुआ है।

'हम रा. स्व. संघ के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं, हमें खुशी है कि लद्दाखवासियों द्वारा वर्षों से की जा रही मांग को देश के सबसे बड़े संगठन का समर्थन मिला, इस प्रस्ताव से हमारे इस रुख को समर्थन मिला कि लद्दाख को अलग कर उसे केन्द्रशासित प्रदेश का दर्जा देना देश की एकता-अखंडता के लिए आवश्यक है, जम्मू तथा लद्दाख कश्मीर घाटी के नैसर्गिक अंग भी नहीं हैं, तथा इन क्षेत्रों में भौगोलिक, भाषीय, मजहबी तथा अनेक प्रकार की असमानताएं हैं।

पिछले पांच दशकों में इन्हीं कारणों से कश्मीर घाटी के सत्तारुढ़ लोगों ने हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव पूर्ण बर्ताव किया है, हम समझते हैं कि संघ द्वारा भी इस तरह की मांग से अलग लद्दाख का हमारा स्वप्न पूरा होगा।"

त्सेरिंग सैम्पेल
अध्यक्ष, लद्दाख बौद्ध संघ

जम्मू और लद्दाख की आवाज सुनें

जोगिन्दर सिंह

भारत और पाकिस्तान सीमित और तीन पूर्ण युद्ध हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच मौजूद नियंत्रण रेखा १९७१ के युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद अस्तित्व में आई। इसके बाद २ जुलाई १९७२ को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। इस समझौते ने नियंत्रण रेखा को एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा मे तब्दील कर दिया है। हमारी संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके पाक अधिकृत कश्मीर समेत संपूर्ण जम्मू–कश्मीर पर भारत के स्वामित्व का दावा किया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस झगड़े को सुलझाना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि पूरे कश्मीर को विभिन्न हिस्सों में बांटकर एक बार में एक हिस्से पर बात की जाए और उसका लगे हाथों निपटारा हो। यह तरीका न सिर्फ समय बचाएगा, वरन किफायती भी साबित होगा।

राज्य की कश्मीर घाटी उग्रवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसके कारण राज्य सरकार प्रदेश के अन्य क्षेत्रों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पा रही है। राज्य सरकार केन्द्र से मिलने वाली मदद का ७० फीसदी हिस्सा कश्मीर घाटी मे खर्च कर रही है। इसका नतीजा अन्य क्षेत्रों में उभर रहे असंतोष और लद्दाख तथा जम्मू क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग के रूप में सामने आ रहा है। इस मांग के समर्थकों का कहना है कि इससे कश्मीर घाटी भी एक स्वतंत्र राज्य की हैसियत पा जाएगी। इस विचार को इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी अप्रत्याशित समर्थन मिला है। संघ लद्दाख क्षेत्र को केन्द्र शासित प्रदेश बनाने का पक्षधर है। जम्मू क्षेत्र के लोगों को भी पृथक राज्य के गठन में ही अपनी सुख–समृद्धि नजर आती है। जम्मू–कश्मीर को तीन भागों में बांटने के पक्ष में यह दलील दी जाती है कि इन तीनों क्षेत्रों की अपनी अलग सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान है। मसलन जम्मू में हिन्दुओं की बहुलता है, कश्मीर घाटी में हिन्दुओं और सिखों के कत्लेआम तथा उनके पलायन के बाद वहां अब तकरीबन मुस्लिम आबादी ही रह गई है। लद्दाख के इलाके में बौद्ध मतावलम्बियों की बहुलता है। विभाजन के मुद्दे पर जम्मू और लद्दाख क्षेत्र में आम सहमति है। दोनों ही क्षेत्रों के लोग मानते हैं कि घाटी की खातिर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर उनसे भेदभाव किया जाता है। जम्मू के बाशिंदे जहां पृथक राज्य चाहते हैं, लद्दाखवासी केन्द्रशासित प्रदेश के पक्ष में हैं। जम्मू–कश्मीर के विभाजन के पक्ष में यह तर्क भी दिया जाता है कि जम्मू और लद्दाख संसाधनों से भरे पूरे हैं तथा पर्यटकों को आकर्षित करने में वे भी कश्मीर घाटी की तरह ही समक्ष हैं, लेकिन विकास और पर्यटन से जुड़े मामलों के लिए सिर्फ कश्मीर घाटी को

ही चुना जाता है। साथ ही जम्मू क्षेत्र की आबादी घाटी से ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके राज्य विधानसभा में यहां से बहुत कम सीटें हैं।

यहां के राजनेताओं का दोमुंहा चरित्र भी लोगों की परेशानियों का कारण है। ये राज्य में कुछ और बोलते हैं, दिल्ली में कुछ और। इस का नमूना १९९९–२००० में फारुख सरकार द्वारा राज्य विधानसभा में पारित कराई गई स्वायत्तता संबंधी रिपोर्ट है। इसमें राज्य को १९५३ से पहले की स्थिति में लाने का इरादा जताया गया था। इसमें सुरक्षा, विदेश मामलों और मुद्रा को छोड़कर राज्य के अन्य मामलों में भारत सरकार द्वारा दखल न देने की बात कही गई थी। दिलचस्प बात यह है कि इस रिपोर्ट में केन्द्र सरकार से राज्य को वित्तीय सहायता देते रहने को कहा गया था। दखल नहीं, बस पैसा चाहिए था।

सौभाग्य से केन्द्र ने फारुख सरकार के इस प्रस्ताव को नकार दिया। केन्द्र ने राज्य सरकार के इस प्रयास को अलगाववादी करार देते हुए कहा कि इसे मानने का मतलब रिजर्व बैंक, चुनाव आयोग, कैग और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को कम करना तथा धारा ३५६ और ३५७ का राज्य में अमल खत्म करना होगा। यह मौके की नजाकत है कि हमें कुछ राजनेताओं के दोहरे खेल को अब खत्म करना होगा।

कहा जा रहा है कि धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर बंटवारे से नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। एक धर्म के लोगों की बहुलता से कश्मीर में नई जटिलताएं पेश आ सकती हैं। ये धारणाएं गलत हैं। उत्तर पूर्व में कई राज्य ऐसे हैं, जहां ईसाई बहुलता में हैं और पंजाब में सिख ज्यादा हैं। जब वहां लोग सहजता से रह सकते हैं, तो कश्मीर में क्यों नहीं? राज्य का बंटवारा होने से जहां विकास को गति मिलेगी, वहीं प्रशासनिक दृष्टि से भी कई तरह की सहूलियतें हासिल होंगी। इसके साथ ही तब आतंकवादियों से निपटना भी आसान होगा और वे अलग–थलग पड़ जाएंगे। राज्य के मौजूदा हालात को देखते हुए विभाजन के इस प्रस्ताव पर संजीदगी से विचार किया जाना चाहिए।

(लेखक सीबीआई के पूर्व निदेशक हैं)

२३ जून २००२, श्रीनगर। डा. फारुख अब्दुल्ला द्वारा अपने पुत्र उमर अब्दुल्ला को नेशनल कान्फ्रेन्स का अध्यक्ष बनाए जाते समय सभा में नेशनल कान्फ्रेन्स के ध्वजारोहण के बाद गाए गए "कौमी तराने" को राष्ट्रगान जैसा सम्मान दिया गया। इसके लिए 'जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति व भाषा एकेडमी के कलाकारों ने बहुत अच्छा अभ्यास किया था। "लहरा ए कश्मीर के झंडे, तिफ्ल–ओ जवान–ओ–पीर के झंडे, हर सू लहरा, हर दम लहरा, ता बा कयामत, पय हम लहरा"' के ६ मिनट तक हुए गायन के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मान में खड़े रहे। **(डेली एक्सेल्सियर, २६ जून २००२)**

प्रदेश का पुनर्गठन किया जाए

जम्मू–कश्मीर के सारे क्षेत्र का पुनर्गठन करने की भी आवश्यकता है। आबादी के आधार पर विधानसभा एवं संसदीय क्षेत्र तय किए जाएं। इससे राजनीतिक असंतुलन समाप्त होगा। जम्मू एवं लद्दाख के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। अब तक झूठे आंकड़ों पर सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार की जाती रही है जिससे कश्मीर घाटी के मुस्लिम समाज का एकाधिकार बना रहे। गत चालीस वर्षों में जम्मू–कश्मीर का मुख्यमंत्री केवल कश्मीरी मुसलमान ही रहा है। प्रशासन में भी महत्वपूर्ण पदों पर कश्मीरी मुसलमान ही नियुक्त किए जाते रहे हैं। आजकल पूरे प्रदेश को तीन इकाइयों (जम्मू, कश्मीर और लद्दाख) में पुनर्गठन करने की चर्चा चला रहे हैं। इससे तीन इकाइयों में विकास कार्यो को गति मिलेगी और कश्मीर में धधक रही राष्ट्रद्रोह की लपटों को जम्मू एवं लद्दाख तक फैलने से रोका जा सकेगा।

जम्मू कश्मीर प्रदेश का पुनर्गठन, भारत की अखण्डता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी जरूरी है। दुर्भाग्य से १९५४ में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अधिकार क्षेत्र से जम्मू–कश्मीर को बाहर रखा गया। जिस आधार पर भारत के शेष प्रान्तों की पुनर्रचना की गई थी, यदि उसी आधार पर इस प्रदेश का भी पुनर्गठन हो जाता तो अनेक समस्याएं तो उसी समय दफन हो जातीं। परन्तु भारत सरकार की मुस्लिमपरस्त नीतियों ने जम्मू और लद्दाख के हितों की बलि चढ़ा दी। इन दोनो क्षेत्रों के लोग आज तक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कश्मीर के बहुसंख्यक वर्ग की धर्मान्धता के शिकार होकर पिस रहे हैं।

पाकिस्तान का जो अघोषित युद्ध कश्मीर की धरती पर चल रहा है वह भविष्य में जम्मू एवं लद्दाख में भी चल सकता है। पाकिस्तान की योजना भी यही है। जम्मू–क्षेत्र के डोडा जिले में इसकी शुरूआत भी हो चुकी है। शत्रु देश पाकिस्तान की सीमा के साथ लगते इस प्रकार के छोटे–छोटे प्रदेशों का निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किया जाए।

प्रदेश का पुनर्गठन राष्ट्रीय दृष्टिकोण से किया जाय। तीन लाख विस्थापित कश्मीरी हिन्दुओं के भविष्य पर विचार करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत की अखंडता को बचाने हेतु कश्मीर को बचाना आवश्यक है। और कश्मीर को भारत में बनाए रखने के लिए कश्मीरी हिन्दू समाज का वहीं रहना अति आवश्यक है। कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर समस्या का कोई भी समाधान सोचना कश्मीर घाटी को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने के समान होगा। अतः प्रशासनिक व्यवस्था में इन कश्मीरी हिन्दुओं का स्थान कौन सा होगा ? इस प्रश्न का उत्तर खोजना होगा। – **नरेन्द्र सहगल**

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है पुनर्गठन

जम्मू–कश्मीर और लद्दाख तीनों ही क्षेत्र न केवल भौगोलिक दृष्टि से पृथक–पृथक है, वरन सामरिक दृष्टि से भी तीनों की स्थिति अलग है। शत्रु देश की सीमा की स्थिति तथा आतंकवादियों को स्थानीय सहयोग, यह कुछ ऐसे बिन्दु हैं, जिसका सैन्य संचालन में रणनीति की दृष्टि से महत्व होता है। पाकिस्तान भी बार–बार हिन्दू बहुल उड़ी, पुंछ या शिया बहुल करगिल में नागरिक ठिकानों पर आक्रमण करता है। सुन्नी बहुल क्षेत्र उसकी तोपों की मार का कम ही शिकार होता है।

धारा ३७० के कारण आज तक छावनी, पुल, सैनिक ठिकाना बनाने के लिए राज्य सरकार की बाधाओं में अधिक समय व्यय हो जाता है।

लगातार चल रहे परोक्ष युद्ध में सेना को थकाने और भारतीय पक्ष के लिए संघर्ष को अधिक खर्चीला बनाने की पाकिस्तानी रणनीति का उत्तर देना आवश्यक है।

करगिल युद्ध के बाद भी सेना विजयोत्सव नहीं मना सकी। जम्मू–कश्मीर पुलिस में आतंकवादियों के समर्थक होने के कारण, कठिन क्षेत्र में सर्तकता रखना, आतंकवादी घटनाओं को रोकने के साथ ही प्रचार सामग्री और जाली मुद्रा पकड़ने जैसे काम भी सुरक्षा बलों को करने पड़ रहे हैं। इस युद्ध में कश्मीरी विद्रोहियों के साथ पाकिस्तानी, अफगानी, सूडानी, ईरानी, तूरानी, आदि देशों के भाड़े के जेहादी हत्यारे शामिल हैं।

कश्मीर युद्ध के विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल (से.नि.) के. के. नन्दा का कहना है – "सेना के सहयोग के लिए राज्य सरकार को शासन का पुनर्गठन करना चाहिये। देश की अखण्डता व धर्म निरपेक्षता बनाये रखने के लिए भारत किसी भी हालत में कश्मीर को नहीं खो सकता। भारत को चाहिए कि जम्मू–कश्मीर राज्य को तीन भागों में बांट दे। जैसा कि भारतीय सेना ने भी तीनों क्षेत्रों के लिए अलग–अलग कमान बनायी हुई हैं। आतंक को वश में लाने के लिए पूरे राज्य विशेषकर कश्मीर घाटी को राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित करने की चेष्टा की जाय।"

आतंकवादियों के नारे –

– हमें क्या चाहिए – आजादी, आजादी।

– आजादी का मतलब क्या – ला इल्लाहः इलल–ला।

– यहां क्या चलेगा – निजाम–ए–मुस्तफा।

– हिन्दुस्तानी कुत्तों – वापिस जाओ, वापिस जाओ।

– कश्मीर बनेगा जन्नत – हिन्दू औरतों के साथ, हिन्दू मर्दों के बिना।

जम्मू कश्मीर समस्या का समाधान

– बलराज मधोक

अब पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि शेख अब्दुल्ला, जो केवल कश्मीर घाटी का नेता था, को सारी रियासत के नेता और प्रतिनिधि के रूप में पेश करना और महाराज हरिसिंह पर दबाव डालकर सारी रियासत का प्रशासन उसे सौंपना एक भयानक और बुनियादी गलती थी।

महाराज की सरकारी उपाधि के अनुसार वह 'जम्मू, कश्मीर और तिब्बत इत्यादि, के महाराजाधिराज थे। केवल कश्मीर घाटी के नहीं। कश्मीर घाटी तो रियासत के संस्थापक गुलाब सिंह के अधिकार में अन्य सब क्षेत्रों पर उसके द्वारा अधिकार कर लेने के बाद १८४६ में आई थी। तब उसने उसे अपने राज्य का एक अलग प्रान्त बनाया था। रियासत की राजधानी शुरू से ही जम्मू थी। श्रीनगर को उसने केवल ग्रीष्म कालीन राजधानी बनाया था। इस विशाल राज्य के इन विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाली एकमात्र कड़ी डोगरा सिंहासन था। रियासत के भारत में विलय के बाद भले ही शेख अब्दुल्ला को कश्मीर घाटी की प्रमुख राजनैतिक पार्टी के नेता के रूप में कश्मीर घाटी का शासन सौंपा था। परन्तु जम्मू–लद्दाख और अन्य क्षेत्रों का शासन भी उसके हाथ में देना सरासर गलत और अनुचित था। उसका उन क्षेत्रों में न कोई दखल था और न प्रभाव। उसके द्वारा १९४६ में चलाये गये कश्मीर छोड़ो आन्दोलन का उद्देश्य कश्मीर घाटी को शेष राज्य से अलग करके अपने अधिकार में लाना था। यह आन्दोलन विशेष रूप से डोगरा महाराज और जम्मू के लोगों के विरुद्ध था। इसलिए जम्मू का शासन भी उसके हाथ में देना विशेष रूप से आपत्तिजनक था।

५५ वर्षों के बाद स्थिति और बदतर हो चुकी है। जम्मू–काश्मीर रियासत का बहुत कुछ मजहबी आधार पर विभाजन हो चुका है और इसका तीस हजार वर्गमील से अधिक क्षेत्र जिसमें गिलगित, बलतिस्तान और पंजाबी भाषा–भाषी मुसलिम क्षेत्र जिसे पाकिस्तान ने 'आजाद काश्मीर' का नाम दे रखा है, पाकिस्तान के अधिकार में है। पाकिस्तानियों ने वहां के एक लाख के लगभग हिंदू–सिक्खों को खत्म करके उस सारे क्षेत्र का इस्लामीकरण और पाकिस्तानीकरण कर लिया है। इस प्रकार दो राष्ट्र के आधार पर जम्मू–काश्मीर राज्य का विभाजन हो चुका है। भारत के पास अब केवल काश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख क्षेत्र तथा काश्मीर को पाक अधिकृत क्षेत्र से काटने वाली पंजाबी भाषा–भाषी, उड़ी–टीटवाल पट्टी तथा लद्दाख को पाक अधिकृत बलतिस्तान से काटने वाली बलती भाषा–भाषी कारगिल द्रास पट्टी रह गयी है।

लद्दाख :– भारत के साथ लगे हुए इन हिंदू–बौद्ध–बहुल क्षेत्रों विडम्बना यह है कि भारत की आम जनता उनके संबंध में बुनियादी जानकारी से भी अनभिज्ञ है। उन्हें कश्मीर घाटी के साथ बांधकर, संविधान की अस्थायी धारा ३७० की लपेट में लाकर, योजनाबद्ध ढंग से उनका इस्लामीकरण किया जा रहा है।

लद्दाख का अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी अब सरकार का समझ में आने लगा हैं। तिब्बत के बाद से चीन की गिद्ध दृष्टि लद्दाख पर पड़ रही है। लद्दाख के लोगों की तर्कसंगत और न्यायसंगत मांग को और अधिक उपेक्षा करना सारे देश को मंहगा पड़ सकता है।

जम्मू क्षेत्र :– जो दक्षिण में पठानकोट और सुचेतगढ़ से उत्तर में पीर पंचाल पर्वत तक और पूरब में रावी नदी और लद्दाख से लेकर पश्चिम में नियंत्रण रेखा तक फैला हुआ है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश से बड़ा है और आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी है। चंद्र भागा या चिनाव नदी और तवी इत्यादि इसकी सहायक नदियां जो इसके बीचोंबीच में बहती हैं, पन बिजली का बहुत बड़ा स्रोत बन सकती हैं। पर्यटन की दृष्टि से इसमें सन्नासर, भद्रवाह, किश्तवाड़, बनिहाल, पतनी टाप, बटोत, कुद जैसे अनेक रमणीक स्थान हैं जो जलवायु और प्राकृतिक सुंदरता के मामले में कश्मीर घाटी के पर्यटन स्थलों से किसी तरह कम नहीं हैं। यह क्षेत्र महाराजा गुलाबसिंह द्वारा बनाये गए विशाल राज्य का मूल क्षेत्र है और यह कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने वाली कड़ी है इसलिए इसकी सुरक्षा शांति और विकास का कश्मीर घाटी शांति और समृद्धि के लिए भी विशेष महत्व है।

लद्दाख की तरह जम्मू का भी कश्मीर घाटी से कोई संबंध नहीं था। इसे कश्मीर घाटी से अलग करने वाली हिमालय की पीर पंचाल श्रृंखला दस हजार से पंद्रह हजार फुट तक ऊंची है। बनिहाल, सियाचिन और नंदी मार्ग के दर्रे भी दस हजार फुट से अधिक ऊंचे हैं। इस प्रकार प्रकृति और भूगोल ने उसे कश्मीर से अलग कर रखा है। इसे कश्मीर से अलग करने की मांग को सांप्रदायिक कहना सैक्युलरवाद का उपहास करना और प्रकृति तथा भूगोल को नकारना है।

राष्ट्रहित का तकाजा है कि जम्मू को हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल प्रदेश की तरह भारत संघ का अलग राज्य बनाने में और देर न की जाए।

कश्मीर घाटी :– अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण कश्मीर घाटी अनादि काल से भारत का अलग राज्य रही है। सम्राट अशोक, 'मुगलों', महाराजा रणजीत सिंह और महाराजा गुलाब सिंह ने भी इसे अलग प्रान्त बनाकर रखा था।

डा. मुखर्जी ने नेहरू को १९५२ में अपने पत्र में उन्हें लिखा कि "यदि उनको अब्दुल्ला को दिये वचन को पूरा करने की इतनी चिन्ता थी तो वे विशेष दर्जा को कश्मीर घाटी तक सीमित रखते जम्मू और लद्दाख के लोगों की इच्छा के विरुद्ध

उन पर अलग संविधान और अलग नागरिकता कानून थोपने का कोई अधिकार न था और न इसका कोई औचित्य है।"

फारुख अब्दुल्ला ने जम्मू–कश्मीर को १९५२–१९५३ से पूर्व की स्थिति पर ले जाने की मांग उठाकर और जम्मू और लद्दाख को भी साम्प्रदायिक आधार पर बंटवारे की योजना पेश करके न केवल जम्मू और लद्दाख के लोगों को धोखा दिया अपितु सारे देश के राष्ट्रवादियों को सतर्क कर दिया है।

देश के सौभाग्य से अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी स्थिति की गंभीरता को समझ लिया है और डा. मुखर्जी के सुझाव को कार्यरूप देने के पक्ष में अपना मन बना लिया है। इससे सारे देश के राष्ट्रवादियों को बल मिला है। कश्मीरी अलगाववादी भी यह समझने लगे हैं कि वे लद्दाख और जम्मू के सम्बन्ध में अपनी योजना को कार्यरूप देने में सफल नहीं हो सकते।

यह सुझाव सर्वथा सैक्युलर और राष्ट्रहित के अनुकूल है। उन्हें कार्यरूप देने से सभी साम्प्रदायिक और राष्ट्रविरोधी तत्वों पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा और फारुख अब्दुल्ला को साम्प्रदायिक आधार पर जम्मू और लद्दाख को बांटकर बृहद इस्लामी कश्मीरी साम्राज्य बनाने की कुत्सित योजना को प्रभावी ढंग से नकारा और निरस्त किया जा सकेगा।

❑❑❑

घर छोड़ने पर मजबूर हिन्दू

१९८९–९०. आतंकवाद के प्रथम दौर में कश्मीर घाटी से लगभग ३ लाख हिन्दू (पंडित, डोगरा, सिख आदि) अपने पुरखों की जमीन छोड़कर जम्मू, ऊधमपुर, दिल्ली में विस्थापित हुए। कश्मीर घाटी में मात्र २०–२५ हजार हिन्दू ही अब शेष हैं।

१९६४–६४. के पश्चात् जम्मू क्षेत्र के डोडा, राजौरी, पुंछ व गुलगुलाबगढ़ (ऊधमपुर जिला) से भारी संख्या में हिन्दू घर छोड़ने को मजबूर। लगभग ५० हजार जम्मू में रह रहे हैं।

१९९९ के करगिल युद्ध के समय पाकिस्तानी गोलाबारी से जम्मू, राजौरी, पुंछ के १ लाख हिन्दू विस्थापित हुए थे।

भारतीय संसद पर हमले (१३ दिसम्बर २००१), सैनिक छावनी कालूचक हत्याकाण्ड (१४ मई २००२) के बाद एक लाख विस्थापित हुए हैं।

जम्मू भी आतंकवादियों के निशाने परं -
जम्मू में वर्ष २००१-०२ में आतंकवादी घटनाएं

क्रमांक	दिनांक	जिला	हताहत
१.	६–३–२००१	पुंछ	दो उग्रवादी
२.	७–८–२००१	जम्मू	पांच सुरक्षाकर्मी, सात नागरिक और एक आतंकवादी मारा गया, ३४ घायल
३.	२४–८–२००१	पुंछ	सात पुलिसकर्मी मारे गये
४.	२–६–२००१	पुंछ	एक पुलिसकर्मी मारा गया, ११ घायल
५.	२४–१०–२००१	ऊधमपुर	एक पुलिसकर्मी मारा गया
	२५–१०–२००१	डोडा	दो सैनिक मारे गये, आठ घायल
७.	१८–११–२००१	डोड़ा	१० सैनिक और ३ नागरिक मारे गये, २६ जवान और चार नागरिक घायल
८.	२५–११–२००१	डोडा	तीन जवान और दो नागरिक मारे गये, तीन पुलिसकर्मी घायल
६.	८–१–२००२	पुंछ	कोई हताहत नहीं हुआ
१०.	१३–१–२००२	पुंछ	दो सैनिक मारे गये, तीन जवान घायल
११.	३–२–२००२	पुंछ	तीन जवान घायल
१२.	१७–२–२००२	राजौरी	आठ नागरिक मारे गये
१३.	२१–२–२००२	राजौरी और पुंछ	कोई नुकसान नहीं
१४.	२६–३–२००२	राजौरी	दो जवान मारे गये, तीन अन्य घायल
१५.	३०–३–२००२	जम्मू	नौ नागरिक और दो आतंकवादी मारे गये; १६ नागरिक घायल
१६.	८–४–२००२	ऊधमपुर	पांच नागरिक मारे गये, चार घायल
१७.	१४–५–२००२	जम्मू	३४ लोग मारे गये, ४७ घायल
१८.	१५–६–२००२	डोडा	चार तीर्थयात्री मारे गये
१६.	१६–६–२००२	ऊधमपुर	एक परिवार के पांच सदस्य मारे गये
२०.	१३–७–२००२	जम्मू	२७ मारे गये; २८ घायल

संघ को चिन्ता जम्मू-लद्दाख के हिन्दुओं की

– राजेश कटियार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कुरुक्षेत्र में जब जम्मू-कश्मीर को तीन भागों में बांटने का विगुल बजाया तो यह सोच बेवजह नहीं थी।

संघ का मानना है कि उसकी मांग में ऐसा नया कुछ भी नहीं है जिस पर बवेला मचाया जाए। दरअसल देश को यह उस असलियत से वाकिफ कराने की एक कवायद है जो जम्मू और लेह के वाशिंदे अरसे से महसूस करते रहे हैं। ध्यान रहे कि लेह अपने को केन्द्र शासित प्रदेश बनाने की मांग १६७० से उठाता रहा है। ढाई दशक बाद १६६६ में जाकर कहीं लेह को स्वायत्त परिषद का दर्जा मिल सका। लेकिन बौद्ध बाहुल्य लेह केन्द्रशासित प्रदेश की अपनी पुरानी जिद पर अब तक अड़ा है।

संघ की दलील है कि वह किसी सम्प्रदाय के लोगों को बेदखल करने की वकालत नहीं करता है बल्कि तथ्य यह है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत जम्मू और लेह की जनसंख्या का ढांचा बदल रहा है। इन क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है इस खतरनाक संकेत ने हिन्दुओं में खौफ पैदा कर दिया है। समझा जाता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. भी इस साजिश में शामिल है।

फारुख सरकार स्वायत्तता की आड़ में राज्य में साम्प्रदायिक बंटवारा करने का कुचक्र रच रही है।

नेशनल कान्फ्रेन्स की दलील यही है कि रक्षा, विदेश और दूरसंचार के मामले में ही केन्द्र सरकार पहरेदारी करे और बाकी सब कुछ राज्य के हवाले कर दे। संघ को ऐतराज है कि इसके खिलाफ कोई राजनैतिक दल आवाज बुलन्द क्यों नहीं करता? अलग राज्य की मांग के समर्थकों का कहना है कि वह अन्य राज्यों की तरह इस देश में अभिन्न हिस्से होंगे। उनके साथ स्वायत्तता या धारा ३७० का चक्कर नहीं होगा।

संघ के प्रवक्ता वैद्य का कहना है कि संघ चुनाव में सीधी शिरकत नहीं करेगा। अपने मकसद के लिए राज्य का विभाजन का समर्थन करने वाले दलों का यह नया मोर्चा बनाने की पहल जम्मू-कश्मीर नेशनल फ्रंट कर रहा है। कहा जाता है कि अकाली दल और पैन्थर पार्टी इस मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। हालांकि यह स्थिति टालने के लिए उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी संघ के नेताओं से मुलाकात कर उनकी मांग नामंजूर कर चुके हैं। संघ ने भी यह साफ कर दिया है कि वह इस राज्य के लोगों के स्थानीय हितों के खिलाफ नहीं जा सकता है।

– जागरण उदय से साभार

❑❑❑

भेदभाव का प्रमाण

	जम्मू	कश्मीर	लद्दाख
राजनैतिक शासन व्यवस्था			
मुख्यमंत्री	कभी नहीं	हमेशा	कभी नहीं
धन १. केन्द्र द्वारा दिये गये	१० प्रतिशत	६० प्रतिशत	उपलब्ध नहीं
२. १९८६ में प्रधानमंत्री द्वारा दी गई विशेष धनराशि	८ प्रतिशत	६२ प्रतिशत	उपलब्ध नहीं

१९६० से फरवरी २००२ तक

आतंकवादियों द्वारा नष्ट की गई सम्पत्ति

कुल घटनाएं	५०१४
सरकारी भवन	११३७
विद्यालय भवन	६३३
घर	१०३०८
पुल	३३३
दुकानें	१६३३
अस्पताल	११

जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां

घटनाओं की संख्या	५१७८७
मारे गये नागरिक	६७१८
मारे गये सुरक्षाकर्मी	३०५६
मारे गये आतंकवादी	१४३५६
मारे गये विदेशी आतंकवादी	२३५८

बरामद विस्फोटक सामग्री

आर.डी.एक्स.(कि.ग्रा. में)	६३६६
अन्य विस्फोटक	२३५११
उन्नत विस्फोटक	४६१६+
उपकरण	१३ बॉक्स
हथगोले	४५०३१
राकेट	४०८०

बरामद हथियार

ए.के. रायफल, पिस्तौल	३२६४४
यू. एम. जी.	६८५
रॉकेट लांचर	७०७

✡ जम्मू कश्मीर की स्थिति पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े

जम्मू–कश्मीर की जनसंख्या में धांधली

सन् २००१ की जम्मू–कश्मीर की जनगणना के दौरान कश्मीर घाटी में हुई घोर धांधली हुई। ऐसा लगता है कि जनगणना के आंकड़े एक सुनियोजित षड्यन्त्र के तहत क्षेत्रों में जाये बिना घर बैठे ही तैयार किये गए हैं। इस धोखाधड़ी में राज्य सरकार की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। १९८१ एवं २००१ की जनगणनाओं के आंकड़ों की तुलना करने पर यह बात स्वयं सिद्ध होकर प्रकट हो जाती है। जम्मू–कश्मीर में वहां की असाधारण परिस्थितियों के कारण १९९१ की जनगणना कर पाना तो सम्भव ही नहीं हो पाया था। १९८१ की तुलना में २००१ में कश्मीर घाटी की जनसंख्या ३१.३४ लाख से बढ़कर ५४.४१ लाख हो गई, जो लगभग ७३.५ प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। जबकि इसी दौरान जम्मू क्षेत्र की जनसंख्या २७.१८ लाख से बढ़कर ४३.९५ लाख ही हुई है, जो लगभग ६१.६ प्रतिशत की वृद्धि को बताती है। १९८१ से २००१ के बीच अखिल भारतीय जनसंख्या वृद्धि तो ५०.३ प्रतिशत ही रही है।

१९९० के बाद से कश्मीर घाटी से लगभग २.५० लाख हिन्दुओं, (कश्मीरी पंडितों, सिक्खों, डोगराओं आदि) को निष्क्रमण करना पड़ा और ये अधिकांश जम्मू में ही आकर बसे हैं। ३०–३५ हजार के लगभग मुस्लिम भी घाटी के सीमावर्ती इलाकों से पलायन कर जम्मू में आये हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में कश्मीर घाटी के लोग आतंकवाद के दौरान मारे भी गए हैं। अभी १९९९ के लोकसभा चुनावों में कश्मीर घाटी के मतदाताओं की संख्या २४ लाख १० हजार थी जबकि जम्मू सूबे के मतदाताओं की संख्या २४ लाख ७६ हजार थी। इस प्रकार कश्मीर घाटी के मतदाताओं की संख्या का जम्मू सूबे के मतदाताओं की तुलना में ६५ हजार कम होना भी घाटी से भारी संख्या में पलायन को ही सिद्ध करता है। इस सबके बावजूद भी जम्मू सूबे की तुलना में कश्मीर घाटी में जनसंख्या की अप्रत्याशित वृद्धि एक आश्चर्यजनक ही है। १९८१ से २००१ की अवधि में कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा जिले में जनसंख्या की वृद्धि लगभग ६५ प्रतिशत दिखाई गई है जबकि जम्मू सूबे की हिन्दू बहुल कठुआ जिले की जनसंख्या वृद्धि मात्र ४७.४ ही रही है।

❑❑❑

१८४६ की अमृतसर संधि

कश्मीर के सम्बन्ध में नेहरू–अब्दुल्ला के साथियों ने योजनाबद्ध ढंग से यह भ्रांति फैलाई हुई है कि कश्मीर घाटी अंग्रेजों ने १८४६ में अमृतसर संधि के द्वारा ७५ लाख में महाराजा गुलाबसिंह को बेची थी। यह सत्य नहीं है। वस्तुस्थिति भिन्न है।

१८४५ में अंग्रेजों और लाहौर दरबार के बीच हुए युद्ध में पंजाब की सैनिक हार के बाद अंग्रेजों ने लाहौर दरबार से युद्ध के खर्चे के रूप में ७५ लाख नानकशाही रुपये मांगे। लाहौर दरबार यह रकम देने की स्थिति में नहीं था। इसलिए उसने इसके बदले में रावी और सिन्ध के बीच का सारा पहाड़ी क्षेत्र जो लाहौर दरबार के अधिकार में था, अंग्रेजों को सौंप दिया। कश्मीर घाटी को छोड़ यह सारा क्षेत्र उस समय गुलाब सिंह के अधिकार में था। अंग्रेज जानते थे कि इस इलाके पर अधिकार करने के लिए उन्हें गुलाबसिंह के साथ एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने गुलाबसिंह की पेशकश की कि वे, उसे इस सारे क्षेत्र का इस शर्त पर स्वतंत्र राजा मानने को तैयार हैं यदि वह ७५ लाख रुपया उनको दे। गुलाबसिंह ने यह शर्त मान ली। फलस्वरूप उसके और अंग्रेजों के बीच ६ मार्च १८४६ को अमृतसर में संधि के अनुसार अंग्रेजों ने इस सारे पहाड़ी क्षेत्र का गुलाबसिंह को विधिवत् कानूनी राजा मान लिया और गुलाबसिंह ने ७५ लाख रुपये की व्यवस्था कर दी।

इस क्षेत्र में कश्मीर घाटी भी पड़ती थी, परन्तु तब तक सीधे लाहौर दरबार के मातहत थी, लाहौर राज्य का एक अलग सूबा थी। इस संधि के अनुसार इस पर भी गुलाबसिंह का अधिकार हो गया।

बाद में गुलाबसिह ने लाहौर दरबार के साथ १८४७ में एक और संधि करके झेलम और सिन्ध नदी के बीच का पहाड़ी इलाका जो उसकी राजधानी जम्मू से बहुत दूर पड़ता था, लाहौर दरबार को वापिस कर दिया और इसके बदले में लाहौर दरबार ने जम्मू के दक्षिण का पंजाब राज्य का कुछ मैदानी इलाका उसे सौंप दिया। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि गुलाबसिंह ने कश्मीर घाटी को ७५ लाख में अंग्रेजों से खरीदने की बात गलत है।

	जम्मू	कश्मीर	लद्दाख
रोजगार क) शिक्षित बेरोजगार युवा (अगस्त १९८९ की स्थिति)			
	४२,०००	२६,०००	उपलब्ध नहीं
प्रदेश सरकार द्वारा दी गई नौकरियां (१९६६ से लेकर)			
	१५,०००	१,४०,०००	३१९

विश्व हिन्दू परिषद की धर्म सभा, हरिद्वार में पारित प्रस्ताव

जम्मू कश्मीर समस्या

जम्मू कश्मीर की समस्या पिछले ५५ वर्षों से समस्त देश के मानस को उद्वेलित कर रही है। पाकिस्तान की ओर से सन् १९४७, १९६५, १९७१ में तीन युद्ध एवं १९९९ का कारगिल युद्ध थोपा जा चुका है। कश्मीर का हिन्दू समाज एक ओर पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवाद के अत्याचार से त्रस्त होकर, पूर्णतया निर्वासित होकर, देश के भिन्न–भिन्न भागों में शरण लेने के लिए बाध्य हो गया है, दूसरी ओर जम्मू–कश्मीर सरकार में सर्वथा कश्मीरी मुसलमानों की सल्तनत कायम है। हिन्दू समाज तथा गुर्जर बिरादरी अपने आप को निःसहाय अनुभव कर रहा है।

जम्मू–कश्मीर की कश्मीरी–मुस्लिम बहुल राज्य–सरकार ने हिन्दू बहुल तथा गुर्जर बिरादरी के क्षेत्र जम्मू और बौद्ध बहुल लद्दाख के साथ कभी भी समानता का व्यवहार नहीं किया। सरकारी नौकरी, विकास के कार्य, उच्च व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के मामले में हिन्दू व बौद्धों के साथ कभी भी न्याय नहीं किया। राज्य संचालन एवं प्रशासनिक क्षेत्र में जम्मू एवं लद्दाख क्षेत्र के साथ भेदभाव ही होता रहा। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू क्षेत्र कश्मीर घाटी से दोगुना तथा जनसंख्या में बराबर है तथा लद्दाख क्षेत्र घाटी से चार गुणा बड़ा है।

गत १३ वर्षों में बढ़ते रहे इस्लामिक आतंकवाद के कारण कश्मीर के बाद जम्मू क्षेत्र के हिन्दू भी अपने घर–गांव छोड़ने को मजबूर हुए हैं। प्रशासन एवं पुलिस में हजारों की संख्या में पाकिस्तान समर्थक लोग घुसे हुए हैं। इसी कारण आतंकवाद नियंत्रित नहीं हो पा रहा है।

जम्मू–कश्मीर राज्य की सल्तनतवादी नेशनल कांफ्रेंस सरकार पुनर्वास कानून (Resettlement Act) बनाकर जम्मू–कश्मीर से पाकिस्तान गए मुसलमानों को वापस जम्मू कश्मीर बुलाकर पुनः बसाना चाहती है। इस कानून के कारण जम्मू–कश्मीर की कोई भी लड़की जम्मू–कश्मीर प्रदेश से बाहर के किसी लड़के से शादी करती है तो वह अपनी जम्मू–कश्मीर की नागरिकता से वंचित हो जाती है। साथ–साथ जम्मू–कश्मीर राज्य के अन्दर अपनी सम्पत्ति के अधिकार से भी वंचित हो जाती है। इस भेदभाव पूर्ण नियम का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव हिन्दू लड़कियों पर पड़ता है। यदि जम्मू–कश्मीर का कोई मुस्लिम लड़का पाकिस्तान से किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर कश्मीर लाता है तो वह लड़की भारत के राष्ट्रपति बनने का कानूनी अधिकार प्राप्त कर लेती है।

वृहत–स्वायत्तता, क्षेत्रीय–स्वायत्तता तथा जम्मू–कश्मीर नागरिकता कानून (स्टेट सब्जेक्ट) बनाकर फारुख की नेशनल कांफ्रेंस सरकार ने जम्मू क्षेत्र में व्यापार करने आये बाहर के हिन्दू व्यापारियों को तथा जम्मू में परम्परागत रूप से रहने वाले चौदह हजार हिन्दुओं को "स्टेट सब्जेक्ट नहीं है" ऐसा नोटिस दिया है। जिससे उन्हें यह सिद्ध करना है कि वे जम्मू–कश्मीर राज्य के निवासी हैं यदि नहीं तो उनका व्यापार बन्द किया जा सकता है और उन्हें जम्मू–कश्मीर से बाहर निकाला जा सकता है। इसके माध्यम से जम्मू–कश्मीर हिन्दू व्यापारियों को ब्लैकमेल कर पैसा ऐंठती है। स्टेट सब्जेक्ट के अन्तर्गत बाहर से जम्मू–कश्मीर में व्यापार करने आए मुस्लिम व्यापारियों को नोटिस नहीं दिया जाता। इस प्रकार के कानूनों की आड़ में पाकिस्तानी मानसिकता वाले तत्वों की स्थिति सुदृढ़ बनती जा रही है और हिन्दू, बौद्ध एवं गुर्जर समाज के लिए अस्थिरता की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है।

जम्मू क्षेत्र के हिन्दू एवं गुर्जर तथा लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध यह अनुभव करते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य में उन्हें जीवन के किसी क्षेत्र में न्याय नहीं मिलने वाला है। आर्थिक, राजनैतिक एवं प्रशासनिक मामलों में इन दोनों क्षेत्रों के साथ सदा उपेक्षा ही बरती जाएगी। जम्मू–कश्मीर राज्य के कश्मीरी मुसलमानों ने राज्य विधानसभा में पहले ही अनुपात से अधिक संख्या में विधान सभा क्षेत्र ले रखे हैं क्योंकि कश्मीर में कम जनसंख्या पर एक विधान सभा क्षेत्र बनाय है जबकि जम्मू क्षेत्र में अधिक जनसंख्या पर विधान सभा क्षेत्र रखा है, जिसके कारण से सत्ता सर्वदा कश्मीरी मुसलमानों के हाथ में रहेगी। जम्मू–कश्मीर राज्य की वर्तमान संरचना के कारण जम्मू क्षेत्र तथा लद्दाख क्षेत्र को सत्ता में कभी भी समुचित भागीदारी नहीं मिलेगी। फलस्वरूप उनके साथ होने वाला शोषण एवं अन्याय चलता ही रहेगा।

जम्मू–कश्मीर राज्य का कश्मीरी–मुस्लिम बहुल प्रशासन सरकार जम्मू एवं लद्दाख क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कश्मीरी मुसलमानों को बसाकर जनसंख्या का अनुपात बदल कर इन क्षेत्रों का इस्लामीकरण कर रहा है। यदि यह स्थिति निरन्तर चलती रही तो जम्मू एवं लद्दाख क्षेत्र भी कश्मीर घाटी की तरह हिन्दू बौद्ध एवं गुर्जर विहीन हो जाएंगे।

प्रस्तावक :- श्री रामेश्वर दास श्रीवैष्णव

पाकिस्तानी नारे –
हंस कर लिया है पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिन्दुस्तान।
जम्मू कश्मीर के बिना, पाकिस्तान अधूरा है।

जम्मू–कश्मीर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव का विवरण

क्षेत्र का नाम ▸	जम्मू	कश्मीर	लद्दाख
मतदाता (पिछले – १९९८ – संसदीय चुनाव के आधार पर)			
	२४,६३,६०६	२४,१०,२२०	६३,५६७
राजनीतिक प्रतिनिधित्व			
क) विधानसभा सीटें	३७	४६	४
ख) लोकसभा सीटें	२	३	१
प्रति सीट मतदाताओं की संख्या			
क) लोकसभा	१२,३१,६५३	८,०३,४०६	
ख) विधान सभा क्षेत्र	६६,५६२	५२,३६६	
राजस्व प्राप्ति (कुल)	७० प्रतिशत	३० प्रतिशत	न के बराबर
कुल खर्च की गई राशि (केन्द्रीय सहायता राशि मिलाकर)			
	२८ प्रतिशत	६२ प्रतिशत	१० प्रतिशत
पर्यटन			
क) राज्य सरकार द्वारा व्यय	१० प्रतिशत	८८ प्रतिशत	२ प्रतिशत
ख) पर्यटकों की संख्या	५० लाख से भी अधिक	२ लाख से भी कम	६० हजार से
(वर्तमान में तो बहुत ही कम पर्यटक कश्मीर घाटी में आ रहे हैं)			
विद्युत ऊर्जा			
क) पैदा की गई कुल ऊर्जा	३५० मेगावाट		
ख) ऊर्जा का वितरण	२२ मेगावाट	३२८ मेगावाट	
पक्की सड़क क) (१९९१ में)			
	४२६७ कि.मी.	६४८० कि.मी.	१६४५ कि.मी.
ख) १९६५–६१ में वृद्धि	४४.११ प्रतिशत	११६.२६ प्रतिशत	उपलब्ध नहीं
शिक्षा– क) शैक्षिक			लद्दाख में केवल
छात्र	६५ प्रतिशत	३५ प्रतिशत	एक डिग्री कालेज
शिक्षा पर व्यय	३० प्रतिशत	७० प्रतिशत	अभी खुला है।

ख) व्यावसायिक शिक्षा संस्थान

जम्मू के संस्थानों में कश्मीरियों की अच्छी संख्या

कश्मीर के संस्थानों में जम्मू के विद्यार्थी केवल नाम मात्र को।

लद्दाख के छात्र अधिकतर जम्मू, चण्डीगढ़ दिल्ली आदि स्थानों पर पढ़ते हैं।

जम्मू की पुकार

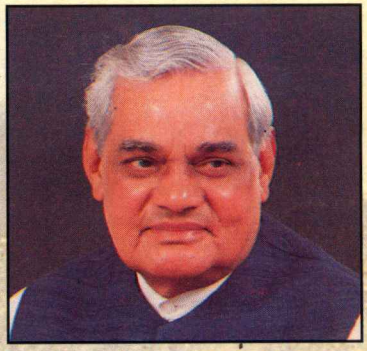

अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा,
अन्यायी का चलता है दमन-दुधारा।
आँखों के आगे सत्य मिटा जाता है,
भारतमाता का शीश कटा जाता है।
क्या पुनः देश टुकड़ों में बँट जाएगा?
क्या सबका शोणित पानी बन जाएगा?
कब तक दानव की माया चलने देंगे?
कब तक भस्मासुर को हम छलने देंगे?
कब तक जम्मू को यों ही जलने देंगे?
कब तक जुल्मों की मदिरा ढलने देंगे?
चुपचाप सहेंगे कब तक लाठी, गोली?
कब तक खेलेंगे दुश्मन खूँ से होली?
आखिर सहने की भी सीमा होती है,
सागर के उर में भी ज्वाला सोती है।

मलयानिल कभी बवण्डर बन ही जाता,
भोले शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता।
जिनको जन-धन से मोह, प्राण से ममता,
वे दूर रहें अब 'पाञ्चजन्य' है बजता।
जो विमुख युद्ध से हठी क्रूर कायर हैं,
रणभेरी सुन कम्पित जिनके अन्तर हैं।
वे दूर रहें, चूड़ियाँ पहन घर बैठें,
बहनें थूकें, माताएँ कान उमेठें।
जो मानसिंह के वंशज सम्मुख आयें,
फिर एक बार घर में ही आग लगायें।
पर अन्यायी की लंका अब न रहेगी,
आने वाली सन्तानें यूँ न कहेंगी-
पुत्रों के रहते कटा जननि का माथा,
चुप रहे देखते अन्यायों की गाथा।
अब शोणित से इतिहास नया लिखना है,
बलि-पथ पर निर्भय पाँव आज रखना है।
आओ खण्डित भारत के वासी आओ।
कश्मीर बुलाता, त्याग उदासी आओ,
शंकर का मठ, कल्हण का काव्य जगाता,
जम्मू का कण-कण त्राहि-त्राहि चिल्लाता।

- अटल बिहारी वाजपेयी